भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 179
(जिसका उत्तर गुरुवार, 05 दिसंबर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया गया)

<u>कंपनी विधेयक, 2013</u>

179. श्री एन. धरम सिंहः

क्या **कारपोरेट कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या कंपनी विधेयक, 2013 में कंपनियों को अकार्यशील कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के क्रम में, अवित्तकारी होने का अवसर प्रदान किया गया है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने अकार्यशील कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए आवेदन किया है;
(ग) क्या सरकार ने कुछ मृत कंपनियों को उक्त द्रर्जा प्रदान किया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) से (घ): दिनांक 29.08.2013 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्राप्त और दिनांक 30.08.2013 को राजपत्र में प्रकाशित कंपनी अधिनियम, 2013 केन्द्रीय सरकार को यथा अधिसूचित तिथियों से विभिन्न धाराओं को लागू करने की शक्ति प्रदान करता है। तदनुसार, कंपनी अधिनियम, 2013 की 98 धाराएं दिनांक 12.09.2013 को अधिसूचित की गई हैं। निष्क्रिय कंपनी से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 समेत बाकी प्रावधान अभी अधिसूचित किए जाने हैं क्योंकि यह कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों को अधिसूचित करते समय नियमों को अधिसूचित करना भी विहित करता है। अत: समग्र रूप से पक्षकारों, आम नागरिकों के साथ और अन्य विनियामकों के साथ विस्तृत परामर्श किए जा रहे हैं।

*****